

विकास आयुक्त कार्यालय, SRLM प्रकोष्ठ

ब्लाक-चार, प्रथम तल, कक्ष क्रमांक-38 (CIV)

इंद्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़



(Ph.No. 0771-2510745, 2420222, E-mail - mdcsrlm@gmail.com, www.bihani.gov.in)

क्रमांक ३९९५ / वि-६ / NRLM / HR&A / 2019

रायपुर, दिनांक ०२/०२/२०१९

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' के अंतर्गत जिला मिशन एवं विकासखण्ड मिशन कार्यालयों में संविदा के विभिन्न रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के नाम से संबंधित जिला पंचायत कार्यालय में आमंत्रित किये जाते हैं।

१. पदों का विवरण:-

क्र.	जिला	पदनाम/संख्या व आरक्षण				
		लेखा सह एम. आई. एस. सहायक	डाटा एण्ट्री आपरेटर	क्षेत्रीय समन्वयक	कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री आपरेटर	भूत्य
1	2	3	5	6	7	8
1	रायपुर	—	—	अना.-1, अ.पि.व.-1	—	—
2	धमतरी	अ.ज.जा.-1	—	अना.-1, अ.जा.-1	—	—
3	महासमुद्र	अ.ज.जा.-1, अना.-2, अ.पि.व.-1	—	अना.-2, अ.पि.व.-1, अ.ज.जा.-1 अ.जा.-1	—	—
4	बलौदा— बाजार	—	—	अ.पि.व.-1, अ.जा.-1	—	—
5	गरियाबंद	अ.ज.जा.-1, अना.-2 (महिला 1) अ.पि.व.-1	—	अ.ज.जा.-2, अना.-1 (महिला) अ.पि.व.-1	—	—
6	दुर्ग	—	—	अ.ज.जा.-1	—	—
7	बालोद	अ.ज.जा.-1	—	अना.-1, अ.ज.जा.-1	—	—
8	बेमेतरा	—	—	अ.जा.-1	—	—
9	कबीरधाम	अना.-1, अ.ज.जा.-1, अ.पि.व.-1	अना.-1	अना.-3, अ.पि.व.-1, अ.जा.-1 अ.ज.जा.-1	—	अना.-1
10	रायगढ़	अना.-2 (महिला 1), अ.ज.जा.-2	अना.-1	अना.-4 (महिला 1, भूसैनिक 1), अ.ज.जा.-4	—	अना.-1

		(महिला 1), अ.पि.व.-1 अ.जा.-1		(महिला 1, दिव्यांग 1), अ.पि.व.-2 (महिला 1) अ.जा.-2		
11	मुंगेली	—	—	अ.ज.जा.-1, अ.जा.-1	—	—
12	सरगुजा	—	—	अ.ज.जा.-4 (महिला 1) अ.पि.व.-1, अना.-1 (महिला)	—	—
13	कोरिया	अ.ज.जा.-2 (महिला 1)	अना.-1	अ.ज.जा.-3 (महिला 1, भू.सैनिक 1), अना.-2 (दिव्यांग 1) अ.जा.-1	—	—
14	बस्तर	अ.ज.जा.-2 (दिव्यांग 1)	—	अ.ज.जा.-5 (महिला 3, दिव्यांग 1)	—	—
15	नारायणपुर	अ.ज.जा.-2	—	अ.ज.जा.-1	—	—
16	कांकेर	अ.ज.जा.-3 (महिला 1), अना.-2, अ.पि.व.-1	—	अ.ज.जा.-4 (महिला 3), अ.जा.-1	—	—
17	कोणडागांव	—	—	अ.ज.जा.-4 (महिला 1)	—	—
18	बीजापुर	अ.ज.जा.-2, अ.पि.व.-1, अना.-1	—	अ.ज.जा.-4, अ.पि.व.-1	—	—
19	सुकमा	अ.ज.जा.-3 (महिला 1)	—	अ.ज.जा.-3 (महिला 1)	—	—
20	राजनांदगांव	अ.ज.जा.-1 (बैकलॉग) अ.जा.-1 (बैकलॉग)	—	अना.-4 (बैकलॉग 2) (महिला 1) अ.ज.जा.-1, अ.जा.-1 (बैकलॉग)	अ.पि.व.-1 (बैकलॉग), अ.जा.-1	—
21	दंतेवाडा	अ.ज.जा.-4 (महिला 1), अ.पि.व.-1	अना.-1	अ.ज.जा.-6 (महिला 2), अ.पि.व.-1	—	अना.-1
22	कोरबा	अना.-2, अ.ज.जा.-1	—	अ.ज.जा.-2 अ.जा.-1, अ.पि.व.-1, अना.-1	—	अना.-1
23	बलरामपुर	अ.ज.जा.-2	—	—	—	—
24	जशपुर	अना.-1, अ.ज.जा.-4 (महिला 2), अ.जा.-1 अ.पि.व.-1	अना.-1	अना.-2 (महिला 1), अ.जा.-1, अ.पि.व.-2, अ.ज.जा.-9 (महिला 3, भू.सैनिक 1)	—	अना.-1
25	बिलासपुर	—	—	अ.ज.जा.-1	—	—

26	जांजगीर— चापा	अना.—1	—	अ.ज.जा.—1, अ.जा.—1, अ.पि.व.—1	—	—
27	सूरजपुर	अ.ज.जा.—3 (महिला 1), अना.—2, अ.पि.व.—1	अना.—1	अ.ज.जा.—4 (महिला 1) अना.—4 (महिला 1) अ.पि.व.—1 अ.जा.—1	—	अना.—1

2. पदों का वेतन एवं शैक्षणिक योग्यता:—

क्र	पदनाम	एकमुश्त मासिक मानदेय	शैक्षणिक अर्हता	मेरिट अंक
1	क्षेत्रीय समन्वयक	22000	<ol style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं में गरीबी उन्नमूलन / आजीविका विकास परियोजनाओं में कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव। कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा / सर्टिफिकेट। 	<ol style="list-style-type: none"> शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए — 80 अंक अनुभव— प्रत्येक पूर्ण 1 वर्ष के लिए— 2 अंक अधिकतम—5 अंक समूह चर्चा / साक्षात्कार पर — 15 अंक
2	लेखा सह एम.आई. एस. सहायक	16445	<ol style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण। टैली / एम.एस.ऑफिस में डिप्लोमा / सर्टिफिकेट। 	<ol style="list-style-type: none"> शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए — 80 अंक अनुभव— प्रत्येक पूर्ण 1 वर्ष के लिए—2 अंक अधिकतम—5 अंक कौशल परीक्षा — 15 अंक
3	डाटा एण्ट्री आपरेटर	16445	<ol style="list-style-type: none"> कक्षा 12वीं (10+2) बोर्ड उत्तीर्ण। अथवा कक्षा 10वीं बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण। 	<ol style="list-style-type: none"> शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए — 60 अंक
4	कार्यालय सहायक सह डाटा एण्ट्री	16445	<ol style="list-style-type: none"> निम्नांकित संस्थाओं से उत्तीर्ण प्रमाण पत्र / डिप्लोमा / उपाधि:— <ul style="list-style-type: none"> मान्यता प्राप्त आई.टी.आई. से कम्प्यूटर आपरेटर एप्ड प्रोग्राम असिस्टेंट व्यवसाय में एक वर्षीय डिप्लोमा / सर्टिफिकेट। मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्नीकल एजुकेशन/राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया कम्प्यूटर साइंस/इंफारमेशन टेक्नालॉजी/मार्डन/आफिस मैनेजमेंट का डिप्लोमा (2 वर्ष से अन्यून)। वैधानिक रूप से गठित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डीम्ड 	<ol style="list-style-type: none"> शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए — 60 अंक अनुभव— प्रत्येक पूर्ण 1 वर्ष के लिए—2 अंक अधिकतम—5 अंक कौशल परीक्षा — 35 अंक

			<p>यूनिवर्सिटी/इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय/भोज विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर साईंस/इंफारमेशन टेक्नालॉजी/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय पी.जी. डिप्लोमा, स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि।</p> <ul style="list-style-type: none"> DOEACC सोसाईटी, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त विभिन्न डिप्लोमा। <p>3. कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति।</p> <p>4. बस्तर एवं सरगुजा संभाग में आने वाले सभी जिलों में मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को छूट प्रदान करते हुए बस्तर एवं सरगुजा संभाग के जिलों में संचालित गैर मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रदत्त कम्प्यूटर डिप्लोमा/प्रमाण पत्रों को नियुक्ति हेतु मान्य किया जावेगा।</p>	
6	भृत्य	10140	<p>मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण</p>	<p>1. आठवीं कक्षा में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए – 40 अंक</p> <p>2. दसवीं कक्षा में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए – 20 अंक</p> <p>3. बारहवीं कक्षा में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए – 20 अंक</p> <p>4. अनुभव— प्रत्येक पूर्ण 1 वर्ष के लिए—5 अंक अधिकतम—20 अंक</p>

3. नियम एवं शर्तेः—

- आवेदन सिर्फ पंजीकृत/स्पीड डाक के माध्यम से दिनांक 28.02.19.....तक कार्यालयीन दिवस एवं समय पर संबंधित जिला पंचायत कार्यालय में ही स्वीकार किये जावेंगे। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

2. जिलों के स्थानीय पदों के लिये जिलेवार एवं पदवार अलग—अलग आवेदन करना अनिवार्य है। साथ ही पत्राचार हेतु एक खाली लिफाफा 5 रु. डाक टिकट सहित स्वयं का पता लिखा आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।
3. संभाग सरगुजा एवं बस्तर के पदों के लिये अभ्यर्थी संबंधित जिले का निवासी होना अनिवार्य है तथा अन्य संभागों के लिये छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण—पत्र संलग्न किया जाना होगा।
4. आयु न्युनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिये समय—समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 1 जनवरी 2019 के आधार पर की जायेगी।
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किये जावेंगे।
6. निःशक्तजन को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. आवेदन में आवेदक का फोटो एवं समस्त प्रमाण—पत्र तथा अंकसूची स्वप्रमाणित सत्यापित होना आवश्यक है। स्वप्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन—पत्र निरस्त माना जावेगा।
8. संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
9. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ.9—1/2012/1—3 दिनांक— 31 दिसंबर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होंगी।
10. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
11. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
12. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
13. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु—लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
14. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मेरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा और उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा तदउपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।
15. आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण—पत्र जारी करने वाले संरथान का नाम पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय आदेश क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु सम्बंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जायेगा— जिसके लिये आवेदक ही स्वयं जिम्मेदार होगा।
16. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो वरीयता क्रम के आधार पर कौशल परीक्षा के लिये 01 पद के विरुद्ध 10 आवेदकों को बुलावा जायेगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जायेगा एवं क्रमशः क्रम अंक पाने वाले आवेदक को एक

वर्ष के लिये वरीयता कम प्रतीक्षा सूची में रखे जावेंगे एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे वरीयता कम प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।

17. शासकीय/गैर-शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जावेगा।
18. संबंधित पदों पर अनुभव शासकीय/गैर-शासकीय संस्थाओं का मान्य होंगे।
19. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनियमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति से अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
20. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
21. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन करना होगा।
22. आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
23. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
24. पदों की संख्या में परिवर्तन संभावित है।
25. रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार है। जिला नियुक्ति के पूर्व आरक्षित पदों का मिलान जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर से करने के पश्चात् ही नियुक्ति आदेश जारी करेंगे।
26. विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप संबंधित जिला पंचायत की सूचना पटल, शासन एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' की वेबसाइट www.bihani.gov.in से अवलोकन किया जा सकता है।
27. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने की कोशिश करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
28. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता जिला कलेक्टर के पास सुरक्षित रहेगा।

राज्य मिशन संचालक, SRLM
विकास आयुक्त कार्यालय
इंद्रावती भवन, अटल नगर
रायपुर, छत्तीसगढ़

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत—.....
छत्तीसगढ़

स्वप्रमाणित
फोटोग्राफ

आवेदित पद का नाम :—

आवेदक का नाम :—

लिंग :— पुरुष / स्त्री

पिता/पति का नाम :-

जन्मतिथि:-

दिन	माह	वर्ष

 आयु (01.01.2019 के अनुसार)-
वर्ष माह दिन

जाति (अजा / अजजा / अ.पि.वर्ग / सामान्य):—.....

मूल निवासः— राज्य जिला वि.खण्ड गांव / शहर

पत्र व्यवहार का पता :—

फोन / मो.नं. :— ई-मेल (यदि हो).....

शैक्षणिक योग्यताएँ :-

संबंधित कार्यक्षेत्र मे अनुभवः—

विभाग / संस्था	पद नाम	कार्य अवधि		
		कब से	कब तक	कुल अनुभव (माह मे)
कुल अनुभव				

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

—: घोषणा :-

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारियाँ सत्य हैं। किसी स्तर पर जानकारियाँ असत्य पाए जाने पर मेरा आवेदन/सेवायें निरस्त कर मुझ पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

नामः—.....